

**डिकी बमूकदमे इन्वादाई** राजस्व लोक अदालत अभियान  
(आदेश 20 नियम 0.7 जाबता दीवानी) **श्याय आपके द्वार-2018**  
अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-कठौती

मु0न0 28/2018

**वादीगण-**

1. दशरथ सिंह पुत्र सुमेर सिंह
2. जयपाल सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपुत निवासीगण खानपुर मांजरा तहसील जायल जिला नागौर।  
बनाग

**प्रतिवादीगण-**

1. सुमेर सिंह पुत्र पन्नेसिंह
2. सम्पत कंवर
3. प्रकाश कंवर
4. आकाश कंवर
5. मरूधर कंवर पुत्रिया सुमेर सिंह जातियान राजपुत निवासीगण खानपुर मांजरा तहसील जायल
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

**वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88**  
**राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955**

निर्णय दिनांक -14.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति में हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 दशरथ सिंह के हक बंट में मौजा खानपुर मांजरा के खेत ख नं 25 रकबा 11.17 बीघा, ख नं 24 रकबा 12.12 बीघा, ख नं 104 रकबा 12.11 बीघा, ख नं 108 रकबा 20.15 बीघा, ख नं 52 रकबा 37.06 बीघा में से 10 बीघा दक्षिणी पश्चिमी कोने का रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 जयपाल सिंह के हक बंट में मौजा खानपुर मांजरा के खेत ख नं 52 रकबा 37.06 में से 27.06 बीघा शेष उत्तरी पूर्वी भाग तथा ख नं 61 रकबा 11.08 बीघा व ख नं 96 रकबा 21.16 बीघा रखे जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 सुमेर सिंह, सम्पत कंवर, प्रकाश कंवर, आकाश कंवर व मरूधर कंवर के सामलाती हक बंट में मौजा खानपुर मांजरा के खेत ख नं 158 रकबा 11.05 बीघा, ख नं 71 रकबा 07.15 बीघा, ख नं 80 रकबा 14.01 बीघा, ख नं 143 रकबा 10.12 बीघा रखे जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमे मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख तारीख वसूल योगे तक x को अदा करे। बसीबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 14.05.2018 को जारी किया गया।



(सुरेश प्रसाद)  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल जिला नागौर

मुददे	रूपदे	पते	मुदायला	पते
स्टाम्प अजी पुरा			स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अजी	
स्टाम्प जजद सम्पत			मेहनताना वकील	
मुदताना वकील			खर्चा गवाहन	
खर्चा मुदतान			फीस कठौती	
खर्चा कठौती			बाबत इजराय हुक्मीजान	
बसत इजराय हुक्मीजान			मुदतरिक	
मुदतरिक				

नोट - इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फलौजन को धाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(सुरेश प्रसाद)  
उपखण्ड अधिकारी जायल  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल, जिला नागौर